अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 22/2013

रामदेव राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 519, दिनांक 27.02.2013 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 18.02.13 को रामदेव राम, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०–88/2007, पंचायत–कोरेयॉ, प्रखंड – अमनौर, की दूकान से संबंधित कई उपभोक्ताओं के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जन अदालत में लिखित बयान दिया गया है जो निम्न प्रकार है:– (1) विक्रेता के द्वारा किरासन तेल 2.75 लीटर के बदले 2.50 लीटर देकर 50 रूपये की वसूली की जाती है। (2) बी०पी०एल० योजना में 25 किलो के बदले 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति कर 150 रू० की वसूली की जाती है। (3) अन्तयोदय योजना में 35 किलो के बदले 30 किलो देकर 110 रू० की वसूली की जाती है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 427 ,दिनांक 19.02.2013 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति	

को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में किरासन तेल उचित दर एवं उचित मात्रा में आपूर्ति किया जाता है। उनके विरूद्ध लगाया गया सभी आरोप गलत है एवं दुश्मनी की वजह से लगाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 519 दिनांक 27.02.2013) एक मुखर आदेश नही है। अभिलेख में विक्रेता के विरूद्ध अनेको उपभोक्ताओं के बयान रक्षित है, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में या विक्रेता से पूछे गए कारण पृच्छा में कही भी यह उल्लेख नही किया गया है कि किन उपभोक्ताओ के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध शिकायत की गई। न ही उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति ही विक्रेता को उपलब्ध करायी गयी। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि उपभोक्ता से प्राप्त बयान की प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराया जाता एवं तत्पश्चात प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है।

दिनांक 09.04.2015 को सुनवाई के पश्चात् दिये गए निर्देश के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 224 दिनांक 10.04.2015 के द्वारा विक्रेता को उपभोक्ता से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराकर उनसे कारण पृच्छा किया गया जिसका जवाब विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विक्रेता के द्वारा शिकायत करने वाले कई उपभोक्ताओ (ईद मोहम्मद साई, शैलेश भगत, निजामुदीन, हदीमन खातुन) का विक्रेता के पक्ष में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं अन्य कई उपभोक्ताओं के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर विक्रेता के

विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत नही होने का बयान दिया गया।

उक्त सभी बिंदुओ को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 307 /न्या0, दिनांक 08/05/2015/

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

8/5/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

8/5/15